

न्यायालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल म.प्र.

-: सूचना :-

आज दिनांक 19/05/2020 को जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची

-: दाण्डिक प्रकरण :-

| क्र. | प्रकरण क्रमांक | पक्षकारगण | स्टेज | अधिवक्ता का नाम |  | रिमार्क |
|------|----------------|-----------|-------|-----------------|--|---------|
| 1    |                | Nil       |       |                 |  |         |
| 2    |                |           |       |                 |  |         |

-: सिविल प्रकरण :-

| क्र. | प्रकरण क्रमांक       | पक्षकारगण                                    | स्टेज      | अधिवक्ता का नाम         |                           | रिमार्क |
|------|----------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 01.  | RCA No 53/2019       | गोविंदराव वगैरह<br>विरुद्ध कुसुमबाई<br>वगैरह | अंतिम तर्क | श्री सुरेन्द्र<br>कौशिक | श्री नितिन मिश्रा         |         |
| 02.  | MCA No<br>34/2019    | सरस्वती वगैरह<br>विरुद्ध विनोद<br>वगैरह      | अंतिम तर्क | श्री चंद्रकिशोर<br>साहू | श्री भवानीप्रसाद<br>दीवान |         |
| 03   | RCA No<br>14/2016019 | देवेन्द्र वगैरह<br>विरुद्ध छुट्टन<br>वगैरह   | अंतिम तर्क | श्री एस.सी.<br>जैन      | श्री अशोक वर्मा           |         |
| 04   | RCA No 10/2016       | दिलीप विरुद्ध<br>देवेन्द्र वगैरह             | अंतिम तर्क | श्री अशोक<br>वर्मा      | श्री एस.सी. जैन           |         |

आदेशानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल

न्यायालय : अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,  
2012 बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

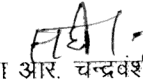
क्रमांक-155/E.spl Court. (POCSO Act)/बैतूल

बैतूल, दिनांक 18.05.2020

**सूचना**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 दिनांक 04 मई 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक 64//दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में दिनांक 19.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | प्रकरण क्रमांक    | पक्षकार का नाम                  | नियत दिनांक | अभियुक्त के अधिवक्ता              | प्रकरण का प्रकार |
|---------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 01.     | एस.टी.<br>72/2020 | राज्य-विरुद्ध-रविन्द्र उर्फ रवि | 19.05.2020  | श्री हेमन्त साबले<br>अधिवक्ता     | आपराधिक          |
| 02.     | एस.सी.<br>14/2018 | राज्य-विरुद्ध-पिटू उर्फ श्रीवरण | 19.05.2020  | श्री अजित सिंह<br>कुशवाह अधिवक्ता | आपराधिक          |
| 03.     | एस.सी.<br>11/2018 | राज्य-विरुद्ध-देवेन्द्र चौहान   | 19.05.2020  | श्री प्रशांत गर्ग<br>अधिवक्ता     | आपराधिक          |

  
(रेखा आर. चन्द्रवंशी)  
अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट  
बैतूल (म.प्र.)  
18.05.2020

पू.क्रमांक-...../E.spl Court. (POCSO Act)/बैतूल

बैतूल, दिनांक 18.05.2020

**प्रतिलिपि :-**

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्रीमान अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चरुपार्थ।
- (4) सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्ता सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

  
(रेखा आर. चन्द्रवंशी)  
अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट  
बैतूल (म.प्र.)  
18.05.2020

**न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के**  
**न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)**

क्रमांक / 85/IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 18 मई, 2020

**-:: सूचना ::-**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक/क्यू/13 जबलपुर, दिनांक 17 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64 /दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक/73/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में ~~द्वारा~~ **दिनांक 19-05-2020** को व्ही. सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

| स.क्र. | प्रकरण क्रमांक      | पक्षकार का नाम                       | सिविल/आपराधिक |
|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 01.    | CRA No. 500506/2016 | मेघराज व अन्य विरुद्ध<br>म.प्र.राज्य | दाण्डिक अपील  |

sd.

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त  
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि, /IV-AJ to IASJ/20

बैतूल, दिनांक 18 मई, 2020

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2m  
18/5/2020

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त  
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त  
न्यायाधीश बैतूल(म.प्र.)

**—:: दिनांक—19.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम  
तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::—**

| क. | प्रकरण क.               | पक्षकार का नाम                  | अपीलार्थी के अधिवक्ता    | गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता |
|----|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | आर.सी.ए.<br>400038 / 16 | रतिबाई वगै. वि. देवेश<br>वगै.   | श्री सुनील<br>सोनकपुरिया | श्री इकबाल<br>भारती       |
| 2. | आर.सी.ए.<br>400043 / 16 | सुरेश वगै. वि. तरुण<br>वगै.     | श्री बी.सी. रांका        | श्री एच.एस.<br>खंडेलवाल   |
| 3. | आर.सी.ए.<br>500524 / 16 | संदीप वि. मुन्नालाल             | श्री संतोष पवार          | श्री सुखदेव<br>ढाकरे      |
| 4. | आर.सी.ए.<br>300069 / 19 | शासन वि.<br>अयोध्याप्रसाद वगैरह | अपर लोक<br>अभियोजक       | श्री अजय सिंह<br>चौहान    |
| 5. | सी.आर.ए.<br>96 / 17     | कन्हैया वि. शासन                | श्री नीलेश डोंगरे        | अपर लोक<br>अभियोजक        |

  
**(ए.के. दंदेलिया)**

प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के  
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश  
बैतूल (म.प्र.)

**न्यायालय:-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)**

क्र.../प्रअजिन्या/2020

मुलताई, दिनांक 18.05.2020

**-:: परिपत्र ::-**

विषय:- लॉकडाऊन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

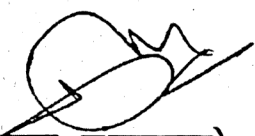
अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 19.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किए जाकर दिनांक 19.05.2020 को प्रातः 11:00 जे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

| No. | Case No. | CIS No. | Parties Name                   | Advocate Name                                    | Contact No.              | Remark |
|-----|----------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1.  | 174/15   | 174/15  | राजेन्द्र विरुद्ध यादोराव वगै. | 1.श्री आर० के० सूर्यवंशी<br>2.श्री एन.आर.मानकर   | 9425670140<br>9406923555 |        |
| 2.  | 108/15   | 105/15  | गौतम विरुद्ध दिव्या            | 1.श्री आर० के० सूर्यवंशी<br>2.श्री उपाध्याय अधि० | 9425670140<br>9300699666 |        |

|    |       |       |                                   |                                         |                          |  |
|----|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--|
| 3. | 53/17 | 53/17 | कुंडलिक विरुद्ध<br>गोविंदराव वगै. | 1.श्री अनिल गीद<br>2.श्री जे0 पी0 पंवार | 9425352714<br>9406544623 |  |
|----|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--|

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. [multai@mphc.in](mailto:multai@mphc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 19.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 23.07.2020 को तथा शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 16.06.2020 को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिए जावेंगे।

  
 (हरप्रसाद बशकार)  
 प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
 मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 178 / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 15/05/2020

### परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक क्यू 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 6 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 7 दिनांक 20.04.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 11 दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 31.05.2020 तक ब्रभावशील किया गया है।

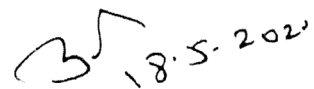
माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नहंदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश हेतु नियत प्रकरण तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक **18.05.2020** को नियत निम्नांकित सिविल प्रकरण प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

| क्र. | प्रकरण क्र. | सी. आई.एस. नं. | पक्षकार नाम                | अधिवक्ता नाम       | मोबाईल नं. | रिमार्क |
|------|-------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------|---------|
| 2.   | 14a / 19    | 21 / 17        | उमाचरण वि० पंजू एवं अन्य   | 1. श्री राम भार्गव | 9425440527 |         |
| 3.   | 15a / 19    | 22 / 17        | उमाचरण वि० गुड्डू एवं अन्य | 1. श्री राम भार्गव | 9425440627 |         |
| 4.   | 16a / 19    | 19 / 17        | उमाचरण वि० बड्डू एवं अन्य  | 1. श्री राम भार्गव | 9425440627 |         |

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी [multai@mphc.in](mailto:multai@mphc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

आज दिनांक **18.05.2020** को नियत आपराधिक प्रकरण दिनांक 16.06.2020 उसी प्रक्रम में सुनवाई में लिये जावेंगे।

 18.5.2020

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

मुलताई, बैतूल (म.प्र.)



न्यायालय:- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / तृ.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 18/05/2020

### परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 18.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 19.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किये जाकर दिनांक 19.05.2020 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

| क्र. | सी.आई.एस. नं. | पक्षकार नाम     | अधिवक्ता नाम                                 | मोबाईल न.                | रिमार्क |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1    | BA-69/20      | अर्जुन वि. शासन | 1. श्री नवीन बिहारिया<br>2. श्री राजेश साबले | 7694816270<br>9425440491 |         |

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क

प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हों, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शराब प्रसारण के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी [multai@amphc.in](mailto:multai@amphc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

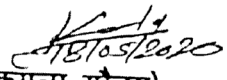
दिनांक 19.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में लिये गये हैं जो दिनांक 29 व 30.05.2020 में लिये जावेंगे, शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 15.06.2020 को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

(कृष्णदास महार)

मुंबई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

अनुरोध है कि वे अपने-अपने प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो तो वे न्यायालय परिसर में स्थिति विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्मानीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी [multai@mphc.in](mailto:multai@mphc.in) पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

आज दिनांक 18.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण दिनांक 16.06.2020 को उसी प्रकृम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

  
(कमला गौतम)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-2 गुलताई, जिला बैतूल

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतूल म0प्र0

क्रमांक ...../प्र.व्य.न्या./2020

मुलताई, दिनांक 18.05.2020

परिपत्र

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक क्यू 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्र. क्यू 6 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र क्र. क्यू 7 दिनांक 20.04.2020, परिपत्र क्र. क्यू 11 दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावशील किया गया है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क, निर्णय हेतु नियत प्रकरणों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक 18.05.2020 नियत निम्नांकित आपराधिक प्रकरण एवं सिविल प्रकरण दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

| क्र. | प्रक. क्र. | सी. आई.एस. नंबर | पक्षकार का नाम | अधिवक्ता का नाम | मोबाइल नंबर | रिमार्क |
|------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 1.   |            |                 |                |                 |             | निरंक   |

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से

न्यायालय-अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

क्रमांक- सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक-18.05.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,  
बैतूल

विषय:- दिनांक-19.05.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय विविध आदेश क्रमांक-64/दो-12-11/2014 बैतूल दि-04.05.20।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयातर्गत सादर विवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक-19.05.2020 को नियत दांडिक, विविध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न प्रकरण है-

| क्र | प्रकरण<br>क्र/<br>अपराध क्र | थाना  | पक्षकार                         | धारा                                                        | अधिवक्ता             | रिमार्क                      |
|-----|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | 5258/15                     |       | शासन विरुद्ध<br>गणेश            | 25 आर्म्स एक्ट                                              | श्री मोतीराम बाघमारे | अंतिम तर्क                   |
| 2   | 1226/17                     |       | शासन विरुद्ध<br>सुरेश वगैरह     | 24 वरिष्ठ नागरिक<br>देखभाल एवं<br>कल्याण अधि                | श्री सतोष मांजीवार   | अंतिम तर्क                   |
| 3   | 323/20                      |       | शासन विरुद्ध<br>सुकल            | 3/181, 146/196,<br>39/192,<br>129/177, 185 मो.<br>व्ही.एक्ट | श्री लक्ष्मण गिरी    | सुपुर्दनामा आवेदन<br>पर तर्क |
| 4   |                             | सारणी | दिलीप गुलबाके<br>विरुद्ध शासन   | 457 दफ़्तर                                                  | श्री अजय सिंह चौहान  | केस डायरी<br>प्रतिक्षार्थ    |
| 5   | 369/20                      | बैतूल | शासन विरुद्ध<br>शिवा उर्फ सुधीर | 437 दफ़्तर                                                  | श्री अजय सोनी        | केस डायरी<br>प्रतिक्षार्थ    |

6. — क्रमांक 31/6/19 457 दफ़्तर श्री लक्ष्मण गिरी

18/5/20  
(अनीता खजुरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बैतूल, जिला बैतूल (न.प्र.)

न्यायालय:- अजय सड़के, प्रथम व्य0न्याया0 वर्ग-2 बैतूल के न्यायालय के तृतीय अति.  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल (म.प्र.)

-:: सूचना ::-

दिनांक 19.05.20 को जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची :-

-: दांडिक प्रकरण :-

| कं. | प्रकरण कं. | पक्षकारगण | स्टेज | अधिवक्ता का नाम | रिमार्क |
|-----|------------|-----------|-------|-----------------|---------|
|     | निरंक      | निरंक     |       |                 |         |

-: सिविल प्रकरण :-

| कं. | प्रकरण कं. | पक्षकारगण            | स्टेज      | अधिवक्ता का नाम      | रिमार्क |
|-----|------------|----------------------|------------|----------------------|---------|
| 1   | RCSA 65/19 | सुमन वि० सेनानी वगै. | अंतिम तर्क | श्री सुरेन्द्र चौधरी | —       |

(अजय सड़के)

प्रथम व्य० न्याया० वर्ग-2 बैतूल के न्याया० के  
तृतीय अति. व्यवहार न्याया० (प्रशिक्षु न्यायाधीश)

प्रथम व्य० न्याया० वर्ग-2 बैतूल

के न्याया० के तृतीय अति. व्य. न्या. वर्ग-2

(ट्रेनी जज) बैतूल (म०प्र०)

न्यायालय:- मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

// परिपत्र //

क. / २ / 2020

भैंसदेही, दिनांक 18/05/2020

विषय: लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 73 बैतूल दिनांक 18.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 19.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

| क्र० | प्रकरण क्रमांक | सी0आई0एस<br>0 न० | पक्षकार नाम | अधिवक्ता नाम | मोबाईल न० | रिमार्क |
|------|----------------|------------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 1    | Nil            | Nil              | Nil         | Nil          | Nil       | Nil     |
|      |                |                  |             |              |           |         |

(मंजूषा तेकाम)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
भैंसदेही, जिला बैतूल

न्यायालय—चित्रेन्द्रसिंह सोलंकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भैंसदेही, जिला  
बैतूल म.प्र.

क / एडीजे / 2020

भैंसदेही दिनांक 18.05.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय  
बैतूल जिला बैतूल म.प्र.

विषय Information regarding Human Right Court & cases  
pending therein

संदर्भ कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक/1080/एक-6 3/2006 बैतूल दिनांक 15.  
05.2020

महोदयजी,

उपरोक्त विषयातर्गत एवं संदर्भित ज्ञापन के पालन में दाही गई जानकारी  
इस न्यायालय में निरंक है, निर्धारित प्रारूप में जानकारी तैयार की जाकर अवलोकन हेतु  
सादर प्रेषित है।

### प्रारूप

#### STATEMENT SHOWING NO OF PENDING HUMAN RIGHT CASES IN THE DISTRICT BETUL TALUKA BHAINSEHI 30-04-2020

| S.NO. | Name of Human<br>Right court notified | Nature of offence<br>identified by the<br>State(s) High Court to<br>be tried in HR Courts | No. of cases<br>pending for trial<br>with year wise<br>break up |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

नि रं क

(चित्रेन्द्रसिंह सोलंकी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भैंसदेही  
जिला बैतूल म.प्र.



सिविल एवं दांडिक प्रकरणों की कॉज लिस्ट जो कि दिनांक 19.05.2020 के लिये नियत हैं।

| क्रमांक | प्रकरण क्रमांक        | पक्षकार का नाम                | अधिवक्ता का नाम                                           | पेशी दिनांक | किस हेतु नियत हैं। |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1       | आर.सी.एस.<br>6-ए/2019 | इमरत<br>बनाम<br>सद्दू<br>रेखा | श्री जी.एल. चंदेल<br>श्री संजय तिवारी<br>श्री संजय तिवारी | 19.05.2020  | तर्क हेतु          |
| 2       | एम.जे.सी.<br>60/2019  | विरूद्ध<br>अजय                | श्री दिनेश कनाटे                                          | 19.05.2020  | तर्क हेतु          |

विनोद अहिरवार

अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

भैसदेही जिला बैतूल

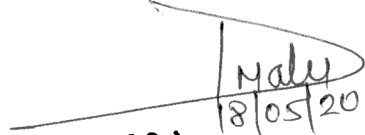
न्यायालय:- दीपेन्द्र मालू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

सूचना

दिनांक 19/05/2020 को वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची

—:सिविल प्रकरण:—

| स.कं. | प्रकरण<br>क्रमांक | पक्षकारगण                                    | स्टेज      | अधिवक्ता का नाम               | रिमार्क |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1     | RCS A<br>176/2018 | सुनील एवं<br>अन्य वि.<br>लोढोबाई एवं<br>अन्य | अंतिम तर्क | श्री पूरनसिंह<br>राठौर (वादी) |         |

  
(दीपेन्द्र मालू)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ  
अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)